रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 105/2024 **शिवचन्द बनाम तहसीलदार** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खाता संख्या 243 के खसरा नम्बर 45 कुल रकबा 2.11 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी शिवचन्द पुत्र सुगना के स्थान पर श्योचन्द पुत्र सुगना गलत दर्ज हो गया, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों से भी प्रार्थी का नाम शिवचन्द साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खाता संख्या 243 के खसरा नम्बर 45 कुल रकबा 2.11 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम श्योचन्द पुत्र सुगना की बजाय शिवचन्द पुत्र सुगना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	